

न्यायालय उपसूचक अधिकारी, पीपलू जिला-टोंक (राज.)

पीपलीन अधिकारी रवि वर्मा (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

संख्या-111/2018

प्रस्तुति दिनांक-23.08.2018

प्राथमिक निर्णय दिनांक-06.07.2021

समलाल पुत्र सुजा जाति जाट निवासी ग्राम करीमपुरा (देवपुरा) तहसील पीपलू जिला टोंक (राज.)

वादी

बनाम

1. समलाल पुत्र सुजा जाति जाट निवासी ग्राम करीमपुरा (देवपुरा) तहसील पीपलू जिला टोंक
2. बैंक ऑफ बरौदा शाखा पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक (राज.)
3. सेंट्रल बैंक ऑफ इन्डिया शाखा पीपलू जिला टोंक (राज.)
4. लय पंजीयक, पंजीयन कार्यालय तहसील पीपलू जिला टोंक (राज.)
5. तहसीलदार, पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक (राज.)

प्रतिवादीनग

सिद्धता वादीनग- श्री राजाराम चौधरी

सिद्धता प्रतिवादीनग- श्री दिवेक चौधरी

दावा बाबत तकासमा आराजीयात व स्थायी निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 92 ए, 188 रा.टि.एक्ट 1955

प्राथमिक निर्णय

दिनांक-06.07.2021

पत्रादली वास्ते प्राथमिक निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि भूमि आराजीयता नम्बर 3299 रकबा 01-08 बीघा, ख0न0 3322 रकबा 01-06 बीघा कुल कित्ता 02 कुल रकबा 02-14 बीघा तहसील देवपुरा पटवार हल्का पीपलू व भूमि आराजीयता ख0न0 4033 रकबा 01-11 बीघा, ख0न0 4033/4268 रकबा 00-01 बीघा गै.मु. चाह, ख0न0 4034 रकबा 01-17 बीघा कुल कित्ता 03 कुल रकबा 03-09 बीघा वाले तहसील पीपलू पटवार हल्का पीपलू व भूमि आराजीयता ख0न0 138 रकबा 00-13 बीघा, ख0न0 185 रकबा 02-07 बीघा, ख0न0 195 रकबा 02-01 बीघा, ख0न0 210 रकबा 04-00 बीघा, ख0न0 258 रकबा 04-02 बीघा कुल कित्ता 06 कुल रकबा 13-04 बीघा वाले ग्राम मोहम्मदनगर पटवार हल्का नाथडी भू.अ.नि. पीपलू व ख0न0 220/2 रकबा 0-08 बीघा, ख0न0 221/2 रकबा 01-19 बीघा कुल कित्ता 02 कुल रकबा 02-07 बीघा वाले ग्राम मोहम्मदनगर पटवार हल्का नाथडी भू.अ.नि. पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक में स्थित है। उक्त वर्णित आराजीयात वादी व प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसमें वादी का 1/2 हिस्सा है। जिस पर काबिज होकर कृषि करता चला आ रहा है। वादी व प्रतिवादी ने उक्त वर्णित आराजीयात का मौके पर बंटवारा कर रखा है और

उप सूचक अधिकारी
पीपलू (टोंक)

अपने हिस्से को काश्त करते चले आ रहे है, किन्तु विधिवत् विभाजन नहीं हो रखा है जिसके लिए श्रीमान् के पक्ष यह वाद प्रस्तुत किया जा रहा है ताकि विधिवत् विभाजन होकर वादी व प्रतिवादी की पृथक-पृथक जमाबंदी न सके एवं नक्शा शीट में तरमीम हो सके। विधिवत् विभाजन नहीं होने की वजह से वर्तमान में पक्षकारान् के मया विवाद उत्पन्न होने की संभावना हो गई है और पक्षकारान् अनावश्यक रूप से एक-दूसरे के हिस्से में प्रवेश करने की कोशिश कर रहे है इस कारण वादी के लिए यह आवश्यक हो गया है कि वह अपने हिस्से की आराजीयात का विधिवत् विभाजन कर पृथक से जमाबंदी तैयार करवा लेवे एवं नक्शा शीट में तरमीम करवा लेवे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर की जाकर तलबी प्रतिवादीगण की गई। प्रतिवादी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री विवेक चौधरी ने वकालतनामा प्रस्तुत कर सीधे ही जवाब पेश न कर बहस का निवेदन किया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रतिवादी ने मुताबिक कब्जे काश्त व राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हक हिस्से अनुसार वाद वादी प्राथमिक डिक्री किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की।

हमने बहस अभिभाषक उभयपक्ष सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन किया। वाद में वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 3299 रकबा 01-08 बीघा, ख0न0 3322 रकबा 01-06 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 02-14 बीघा वाके ग्राम देवपुरा पटवार हल्का पीपलू व भूमि आराजी ख0न0 4033 रकबा 01-11 बीघा, ख0न0 4033/4268 रकबा 00-01 बीघा गै.मु. चाह, ख0न0 4034 रकबा 01-17 बीघा कुल किता 03 कुल रकबा 03-09 बीघा वाके ग्राम पीपलू पटवार हल्का पीपलू व भूमि आराजी ख0न0 138 रकबा 00-13 बीघा, ख0न0 138 रकबा 02-07 बीघा, ख0न0 195 रकबा 02-01 बीघा, ख0न0 210 रकबा 04-00 बीघा, ख0न0 258 रकबा 04-02 बीघा कुल किता 05 कुल रकबा 13-04 बीघा वाके ग्राम मोहम्मदनगर पटवार हल्का नाथडी भू.अ.नि. पीपलू, ख0न0 220/2 रकबा 00-08 बीघा, ख0न0 221/2 रकबा 01-19 बीघा कुल किता 02 कुल रकबा 02-07 बीघा वाके ग्राम मोहम्मदनगर पटवार हल्का नाथडी भू.अ.नि. पीपलू तह0 पीपलू जिला टोंक वादी व प्रतिवादी संख्या 01 की संयुक्त खातेदारी का होना प्रकट होता है। राजस्व रिकॉर्ड में सहखातेदार की हैसियत रखने के आधार पर उभयपक्ष अपनी खातेदारी भूमि की विभाजन के हकदार है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात का वादी व प्रतिवादीगण के बीच दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है एवं तहसीलदार पीपलू को मुताबिक कब्जे काश्त व राजस्व रिकॉर्ड में हक हिस्से अनुसार विभाजन प्रस्ताव तैयार करने के आदेश दिया जाता है, साथ ही तहसीलदार, पीपलू को आदेशित किया जाता है उक्तानुसार मय नक्शा ट्रेस के दो-दो प्रतियों में तकास्मा रिपोर्ट पक्षकारान् की स्थिति में तैयार की जाकर आगामी दिनांक 06.07.2021 से पूर्व आवश्यक रूप से भिजवाने की सुनिश्चितता करें।

निर्णय आज दिनांक-06.07.2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रवि वर्मा)
उपसुब्ब, अधिवक्ता पीपलू
जिला-टोंक
पीपलू (टोंक)